

फर्द अहकाम

विरुद्ध बनाम बनलिल

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्ती

राजस्य घात/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

प्रा. पत्र 158/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
		<p>उक्त जवाब हेतु विदित थी परन्तु प्राचीन अधिकारिता ने जवाब उलजवाब प्रस्तुत नहीं किया अतः जवाब उलजवाब बंद किया जाता है उभयपक्ष अधिकारिता ने प्रा. पत्र अस्थापी निषेधाज्ञा पर अंतिम बदल करती हेतु विवेक किया।</p> <p>उभयपक्ष अधिकारिता की प्रा. पत्र अस्थापी निषेधाज्ञा पर कदम पुनर्गई पत्रावली वास्ते आदेश 7-2 दिनांक 11/03/2025 को पेश है।</p> <p>11/3/25 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करते एवं दौरान बदल जाये तब ही पर मनन करने के उपरान्त अन्तरिम आदेश दिनांक 03.09.2024 को खलरा न- 591/1 की शर्तों के मुताबिक रखते हुए शेष खलरा नम्बर पर टी. आई. मुकदमा के निर्णय तक कम्प्लैट किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक है लिखवाय जाकर शाकिल फिलाल किया गया। जो इन आदेश का भाग है</p>

फर्द अहकाम

विरेंद्र सिंह बनाम शारदा

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

स्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

प्रा.पत्र 158/2024

म ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>रहेगा। पतावली फेलत हुमाद डोकट दर्ज नम्बर से उन डोकट हाखिल दफतर हा। फेलत खुले न्यायालय के आज दिनांक 11/03/2025 के सुनाप कथा।</p> <p>सहायक कलक्टर बस्सी जिला-जयपुर</p>	